

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

राज्य स्लपरेखा

क सामान्य आंकड़े

क्रमांक	विवरण			आंकड़े
1.	श्वेतफल			55,673 वर्ग कि०मी०
2.	जनसंख्या			
	क	जनगणना (2001) के अनुसार		0.61 करोड़
	ख	जनगणना (2011) के अनुसार 2017 (अनुमान)		0.69 करोड़ 0.72 करोड़
3	(क) जनसंख्या घनत्व (2001) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०) (ख) जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय औसत = 382 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०)			109 व्यक्ति/वर्ग कि०मी० 123 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.9%)			10.90%
5	(क) साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत = 64.8%) (ख) साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत = 73%)			76.50% 82.80%
6	(क) शिशु मृत्यु दर (2015) (अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर = 37) (ख) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2011-15) (अखिल भारतीय औसत = 68.3)			28 72
7	गिनी गुणांक (2009-10) (शहरी-ग्रामीण जनसंख्या) (क) ग्रामीण (अखिल भारतीय औसत = 0.29) (ख) शहरी (अखिल भारतीय औसत = 0.38)			0.31 0.40
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2016-17			1,24,570
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2007-08 से 2016-17)			15.53 (एस.सी.एस: 15.7)

ख वित्तीय आंकड़े

संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर		2007-08 से 2015-16		2011-12 से 2015-16		2015-16 से 2016-17	
		सभी विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	सभी विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	सभी विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश
क	राजस्व प्राप्तियां	13.40	12.49	11.79	12.67	14.44	12.05
ख	कर राजस्व	17.20	16.61	14.50	12.99	4.99	5.12
ग	कर-भिन्न राजस्व	6.58	0.10	4.51	-1.03	21.61	(-) 6.53
घ	कुल व्यय	11.78	12.88	10.09	12.15	18.78	25.37
ड.	पूँजीगत व्यय	6.17	9.22	6.86	12.16	50.62	22.17
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय	15.30	13.66	11.36	8.42	13.86	19.68
छ:	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	17.91	14.57	16.41	13.01	20.55	15.46
ज	वेतन एवं मजदूरी	15.95	10.88	10.75	7.09	4.41	18.45
झ	पेंशन	17.87	19.08	16.74	14.69	11.76	7.25

स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भारत की जनगणना सूचना (2011), गरीबी की माप के लिए पद्धति की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) का प्रतिवेदन, योजना आयोग (जून 2014), एस आर एस बुलेटिन (सितम्बर 2014), आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

परिशिष्ट-1.1

भाग-क

सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि; (ii) आकस्मिकता निधि; तथा (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके जुटाए गए समस्त ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के चुकाने से प्राप्त समस्त धन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की समेकित निधि” नामक एक समेकित निधि होगी।

भाग II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधिकार में रखे गए अग्रदाय के रूप में है, जो उसे विधानमण्डल द्वारा लम्बित प्राधिकरण हेतु आवश्यक अनपेक्षित व्यय को वहन करने के लिए अग्रिमों को देने हेतु समर्थ बनाती है। समेकित निधि से ऐसे व्यय और समकक्ष राशि के आहरण हेतु विधानमण्डल का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात् अग्रिमों की आकस्मिकता निधि से निधि को पूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, निक्षेपों, उचन्त, जमाओं आदि जैसे कुछ लेन-देनों के सम्बन्ध में प्राप्तियों तथा संवितरणों, जो कि समेकित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा इन पर राज्य विधानमण्डल द्वारा मत नहीं दिया जाता है।

परिशिष्ट-1.1

भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा

वर्ष 2016-17 के लिए वित्त लेखे को दो खण्डों-खण्ड I व II में विभाजित किया गया है। खण्ड I सरकार की वित्तीय विवरणियों को सारांशित रूप में दर्शाता है जबकि खण्ड II विस्तृत वित्तीय विवरणी को दर्शाता है। वित्त लेखे को बनाने की रूपरेखा निम्नांकित ढंग से की गई है:

	रूपरेखा
	खण्ड-I
विवरणी 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी
विवरणी 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों की विवरणी अनुलग्नक-क: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश
विवरणी 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 5	प्रगामी पूँजीगत व्यय की विवरणी
विवरणी 6	उधारों एवं अन्य देयताओं की विवरणी
विवरणी 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विवरणी
विवरणी 8	सरकार के निवेशों की विवरणी
विवरणी 9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी
विवरणी 10	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी
विवरणी 11	दत्तमत व प्रभारित व्यय की विवरणी
विवरणी 12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों और उपयोग की विस्तृत विवरणी
विवरणी 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश
	लेखा टिप्पणियाँ

खण्ड-II

भाग I: विस्तृत विवरणियाँ

विवरणी 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 15	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 16	लघु शीर्षों एवं उप-शीर्षों द्वारा पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 17	उधारों एवं अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणी
विवरणी 18	सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 19	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 20	सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा लेन-देनों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 22	चिह्नित निधियों के निवेशों की विस्तृत विवरणी

भाग II: परिशिष्ट

I	मुख्य शीर्षों द्वारा वेतन पर तुलनात्मक व्यय
II	उपदान पर तुलनात्मक व्यय
III	सहायता अनुदान/राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता (स्कीमवार व संस्थावार)

IV	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण
V	योजनागत स्कीम व्यय क- केन्द्रीय स्कीमे (केन्द्र प्रायोजित स्कीमों तथा केन्द्रीय योजना स्कीमों) ख- राज्य योजना स्कीमों
VI	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर निधियां)
VII	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान
VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम
IX	सरकार की प्रतिबद्धताएं-अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची
X	वेतन एवं गैर-वेतन भाग के पृथक्करण के साथ अनुरक्षण व्यय
XI	वर्ष के दौरान सरकार के प्रमुख नीति निर्णयों के निहितार्थ या भावी नकद प्रवाह हेतु प्रस्तावित नई स्कीमों
XII	भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देयताएं

परिशिष्ट-1.2

भाग-क

राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्य पद्धति

वित्त लेखों की विवरणियों से 2012-17 की अवधि में प्रकट हुई प्राप्तियों तथा व्यय के मुख्य राजकोषीय पूर्ण योगों की प्रवृत्ति का, जहां कहीं भी आवश्यक था, विश्लेषण किया गया तथा उनके व्यवहार पर अभ्युक्तियां की गई हैं। राज्य के वित्त की पुनर्संरचना योजना में तेरहवें वित्तायोग ने कुछ राजकोषीय योगों के लिए मानकों/सीमा की सिफारिश की तथा अन्य के लिए मानकीय प्रक्षेपण भी बनाया। इसके अतिरिक्त, तेरहवें वित्तायोग ने यह भी सिफारिश की कि सभी राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में संशोधन करें ताकि राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार किया जा सके जैसा कि मध्यम से दीर्घकालीन अवधि को आवृत्त करते हुए उनके सम्बद्ध राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों/नियमावलियों में निर्दिष्ट किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में की गई प्रतिबद्धताओं/प्रक्षेपणों सहित राजकोषीय योगों हेतु इसके प्रक्षेपणों के साथ तेरहवें वित्तायोग द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/सीमाओं तथा अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अन्य विवरणियों में चालू वर्ष के दौरान मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान का गुणात्मक आकलन करने के लिए उपयोग किया गया है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राजस्व तथा पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को चालू बाजार दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रतिनिधित्व आधार के संदर्भ में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए उत्प्लावकता गुणांक का यह निर्धारण, कि क्या संसाधनों की गतिशीलता, व्यय का तरीका इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ गति रख रहे हैं अथवा इन राजकोषीय योगों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त कारकों द्वारा भी प्रभावित किया गया है, करने के लिए भी संगणित किया गया है। 2011-12 को आधार के रूप में मानते हुए नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला को जैसा कि राज्य सरकार के निदेशक, आर्थिक तथा सांख्यिकी द्वारा प्रकाशित किया गया है, इन प्रतिशतताओं और उत्प्लावकता दरों का आकलन करने में उपयोग किया गया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

विगत पांच वर्षों हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	82,294	94,764	1,04,177	1,13,667	1,24,570
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.16	15.15	9.93	9.11	9.59

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं प्रतिमान के निर्धारणार्थ प्रयोग किए गए कुछ चयनित शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्द	गणना आधार
पैरामीटर की उत्पावकता	पैरामीटर की वृद्धि दर/सकल राज्य धरेलू उत्पाद वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्पावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि)-1] *100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि+चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)2]* 100
बकाया ऋणों के प्रति प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(अथ शेष + ऋणों तथा अग्रिमों के अंतशेष)2] *100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण व अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूँजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियां घटा मुख्य शीर्ष 2048-ऋण के बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर समस्त योजनागत अनुदानों तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय

परिशिष्ट-1.2

भाग-ख

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया जिसको 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित किया गया ताकि राजस्व घाटे में प्रगामी कमी द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में विवेकशीलता, राजकोषीय धारणीयता के साथ विवेकी ऋण प्रबन्धन समरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथानिर्धारित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में राज्य सरकार हेतु निम्नवत् राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है:

- राजस्व घाटे को खत्म करना तथा राजस्व अधिशेष को बनाए रखना;
- राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घेरलू उत्पाद के तीन प्रतिशत अथवा उससे कम करना;
- वित्तीय वर्ष 2016-17 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घेरलू उत्पाद के 35.42 प्रतिशत तक कम करना।
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति के 40 प्रतिशत से कम दीर्घावधि ऋण पर बकाया जोखिम भारित गारण्टीयों को बनाए रखना जिसके लिए वास्तविक आंकड़े वित्त लेखे के अनुसार उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 7 को भी संशोधित किया गया जिसमें परिकल्पित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सुव्यवस्थित राजकोषीय सुधार पथ की समीक्षा व अनुश्रवण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाएगा।

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: परिच्छेद 1.3, 1.6.1, 1.9.2 तथा 1.11.3; पृष्ठ: 7, 16, 25 व 32)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	15,598	15,711	17,843	23,440	26,264
(i) कर राजस्व	4,626 (30)	5,121 (33)	5,940 (33)	6,696 (29)	7,039 (27)
विक्री, व्यापार आदि पर कर	2,728 (59)	3,141 (61)	3,661 (62)	3,993 (60)	4,382 (63)
राज्य आबकारी	810 (18)	952 (19)	1,044 (18)	1,131 (17)	1,308 (19)
वाहनों पर कर	196 (4)	208 (4)	220 (4)	317 (05)	280 (4)
स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	173 (4)	188 (4)	190 (3)	206 (03)	209 (3)
विद्युत पर कर एवं शुल्क	262 (6)	191 (4)	333 (5)	551 (8)	372 (5)
भू-राजस्व	24 (-)	10 (-)	17 (-)	7 (-)	8 (-)
माल व यात्रियों पर कर	101 (2)	105 (2)	110 (2)	115 (02)	121 (2)
अन्य कर	332 (7)	326 (6)	365 (6)	376 (5)	359 (4)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1,377 (9)	1,785 (11)	2,081 (12)	1,837 (08)	1,717 (6)
(iii) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	2,282 (14)	2,491 (16)	2,644 (15)	3,611 (15)	4,344 (17)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	7,313 (47)	6,314 (40)	7,178 (40)	11,296 (48)	13,164 (50)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियां	-	-	650	-	-
3. ऋणों व अग्रिमों की बसूलियां	21	17	41	26	30
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	15,619	15,728	18,534	23,466	26,294
5. लोक ऋण प्राप्तियां	3,371	4,050	10,877	6,129	8,603
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	3,239 (96)	3,362 (83)	3,892 (36)	4,294 (70)	6,831 [#] (79)
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	629 (16)	6,860 (63)	1,785 (29)	1,671 (20)
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	132 (4)	59 (1)	125 (1)	50 (01)	101 (01)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	18,990	19,778	29,411	29,595	34,897
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	-	-	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियां	9,146	10,300	10,575	11,515	13,630
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	28,136	30,078	39,986	41,110	48,527
भाग ख. व्यवस्था/संवितरण					
10. राजस्व व्यव	16,174	17,352	19,787	22,303	25,344
योजनागत	2,079 (13)	2,387 (14)	3,204 (16)	3,493 (16)	4,520 (18)
आयोजनेतर	14,095 (87)	14,965 (86)	16,583 (84)	18,810 (84)	20,824 (82)
सामान्य सेवाएं (व्याज अदायगियों सहित)	6,618 (41)	7,047 (41)	7,604 (38)	8,788 (39)	9,728 (38)
सामाजिक सेवाएं	6,131 (38)	6,706 (39)	7,451 (38)	7,980 (36)	9,610 (38)
आर्थिक सेवाएं	3,418 (21)	3,590 (20)	4,723 (24)	5,525 (25)	5,996 (24)
सहायता अनुदान व अंशदान	7 (-)	9 (-)	9 (-)	10 (-)	10 (-)
11. पूँजीगत व्यव	1,955	1,856	2,473	2,864	3,499
योजनागत	1,859 (95)	1,815 (98)	2,431 (98)	2,568 (90)	3,115 (89)
आयोजनेतर	96 (5)	41 (2)	42 (2)	296 (10)	384 (11)
सामान्य सेवाएं	74 (4)	81 (4)	83 (3)	88 (3)	208 (6)
सामाजिक सेवाएं	436 (22)	478 (26)	522 (21)	792 (28)	1,041 (30)
आर्थिक सेवाएं	1,445 (74)	1,297 (70)	1,868 (76)	1,984 (69)	2,250 (64)
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	469	531	474	463	3,290 [#]
13. योग (10+11+12)	18,598	19,739	22,734	25,630	32,133

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
14. लोक ऋण की चुकौतियां	2,117	1,704	8,260	3,948	3,943
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	2,056	1,467	1,410	1,557	2,198
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	172	6,783	2,320	1,671
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	61	65	67	71	74
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	20,715	21,443	30,994	29,578	36,076
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	8,285	9,227	8,844	10,577	12,351
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	29,000	30,670	39,838	40,155	48,427
भाग ग. घाटा/अधिशेष					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(-) 576	(-) 1,641	(-) 1,944	1,137	920
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 2,979	(-) 4,011	(-) 4,200	(-) 2,165	(-) 2,948 [#]
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	(-) 609	(-) 1,530	(-) 1,351	990	417 [#]
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्पालित)	2,370	2,481	2,849	3,155	3,359
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	1,203	1,438	2,156	2,612	3,357
25. प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष	-	11	125	31	23
प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम	-	10	77	25	23
प्राप्त किए गए (दिवस) अधिविकर्ष	-	01	48	06	-
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	-	0.11	14.80	6.40	16.17
27 सकल राज्य धरेलू उत्पाद	82,294 (13.16)	94,764 (15.15)	1,04,177 (9.93)	1,13,667 (9.11)	1,24,570 (9.59)
28 बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	30,442	33,884	38,192	41,197	47,244 [#]
29. बकाया प्रत्याभूतियां (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	3,353	4,333	4,281	3,714	4,550
30. प्रत्याभूति अधिकतम राशि (वर्षान्त)	9,455	9,316	9,316	9,658	12,320
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	12	12	13	12	12
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	115	130	141	143	188
भाग डः : राजकोषीय स्थिरता सूचक					
I संसाधन गतिशीलता (अनुपात)					
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य धरेलू उत्पाद	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/सकल राज्य धरेलू उत्पाद	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
केंद्रीय अंतरण/सकल राज्य धरेलू उत्पाद	0.12	0.09	0.09	0.13	0.14
II व्यय प्रबन्धन (अनुपात)					
कुल व्यय/सकल राज्य धरेलू उत्पाद	0.13	0.21	0.22	0.23	0.26
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.19	1.26	1.27	1.09	1.22
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.86	0.88	0.87	0.87	0.79
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.35	0.36	0.35	0.34	0.33
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.26	0.25	0.29	0.29	0.26
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
III राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन (अनुपात)					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घेरेलू उत्पाद	0.37	0.36	0.37	0.36	0.38
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्ति	1.95	2.16	2.14	1.76	1.80
IV अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक					
निवेश पर प्रतिफल (₹करोड़)	100.09	103.42	170.99	111.94	289.63
चालू राजस्व से शेष (₹करोड़)	(-)3,284	(-)3,544	(-) 4,719	1,858	1,153
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएं (अनुपात)	0.70	0.68	0.67	0.72	0.77
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (अनुपात)	0.19	0.41	0.46	*	*
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घेरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.02	0.01	0.01	0.04	0.03
राजस्व व्यय: मूल पैरामीटर					
कुल व्यय (₹ करोड़)	18,598	19,739	22,734	25,630	32,133
कुल व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.80	6.14	15.17	12.74	25.37
राजस्व व्यय (₹ करोड़)	16,174	17,352	19,787	22,303	25,344
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.38	7.28	14.03	12.72	13.63
आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ करोड़)	14,095	14,965	16,583	18,810	20,824
आयोजनेतर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.56	6.17	10.81	13.43	10.70
योजनागत राजस्व व्यय (₹ करोड़)	2,079	2,387	3,204	3,493	4,520
योजनागत राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	22.22	14.81	34.23	9.02	29.40
आयोजनेतर राजस्व व्यय/सकल राज्य घेरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	17.13	15.79	15.92	16.55	16.72
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	86.97	87.91	87.04	87.02	78.87
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	75.79	75.81	72.94	73.39	64.81
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में योजनागत राजस्व व्यय	11.18	12.09	14.09	13.63	14.07
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	90.36	95.25	92.94	80.25	79.29
राजस्व व्यय की तुलना में आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	87.15	86.24	83.81	84.34	82.17
राजस्व व्यय की तुलना में योजनागत राजस्व व्यय	12.85	13.76	16.19	15.66	17.83
के साथ राजस्व व्यय की उत्पादकता					
सकल राज्य घेरेलू उत्पाद (अनुपात)	1.24	0.48	1.41	1.40	1.42
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	2.26	10.11	1.03	0.41	1.13
आयोजनेतर राजस्व व्यय (अनुपात)	1.05	1.18	1.30	0.95	1.27
योजनागत राजस्व व्यय (अनुपात)	0.74	0.49	0.41	1.41	0.46

कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के कुल की प्रतिशतता (पूर्णांकित) दर्शाते हैं।

उदय स्कीम के 2,890.50 करोड़ सम्मिलित हैं

उदय स्कीम के 2,890.50 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं

*राजस्व अधिशेष है अतः आंकड़ों की गणना नहीं की गई।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भः परिच्छेद 1.1.1; पृष्ठः 2)

भाग-कः वर्ष 2016-17 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां						संवितरण				
	2015-16		2016-17			2015-16	2016-17			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़	11.
प्रवर्ग-क राजस्व										
I-राजस्व प्राप्तियां		23,440.48		26,264.34	I-राजस्व व्यय	22,302.81	20,824.39	4,519.83	25,344.22	25,344.22
(i) कर राजस्व	6,695.81		7,039.05		सामान्य सेवाएं	8,788.46	9,643.78	84.17	9,727.95	
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1,837.15		1,717.24		सामाजिक सेवाएं	7,979.92	7,200.62	2,409.30	9,609.92	
(iii) संघीय कारों एवं शुल्कों का राज्यांश	3,611.17		4,343.70		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	4,132.16	3,954.69	990.50	4,945.19	
(iv) गैर योजनागत अनुदान	8,524.32		8,877.19		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,300.16	1,054.20	447.12	1,501.32	
(v) राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	755.52		1,187.48		जलाधार्पति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1,267.23	1,323.63	453.62	1,777.25	
(vi) केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय ग्राम्योजित योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	2,016.51		3,099.68		सूचना एवं प्रसारण	30.65	44.09	0.33	44.42	
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	57.36	11.55	51.22	62.77	
					श्रम एवं श्रम कल्याण	103.46	109.59	13.60	123.19	
					सामाजिक कल्याण एवं योषण	1,071.64	691.45	442.88	1,134.33	
					अन्य	17.26	11.42	10.03	21.45	
					आर्थिक सेवाएं	5,524.47	3,969.96	2,026.36	5,996.32	
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	1,554.34	954.71	723.47	1,678.18	
					ग्रामीण विकास	1,004.97	578.55	600.24	1,178.79	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	337.69	433.62	28.21	461.83	
					ऊर्जा	973	375.08	447.21	822.29	
					उद्योग एवं खनिज	71.49	54.40	67.12	121.52	
					परिवहन	1,479.12	1,516.23	30.18	1,546.41	
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	7.58	2.91	6.61	9.52	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	96.28	54.46	123.32	177.78	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	9.96	10.03	-	10.03	
योग		23,440.48		26,264.34	योग	22,302.81	20,824.39	4,519.83	25,344.22	
II-प्रवर्ग-ख में लाया गया राजस्व घटा					II-खण्ड-ख को लाया गया राजस्व अधिशेष	1,137.67			920.12	
योग		23,440.48		26,264.34	योग	23,440.48			26,264.34	

प्राप्तियां						संवितरण				
	2015-16		2016-17			2015-16	2016-17			
1.	2.	3	4.	5	6	7	गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़	11
प्रवार्ग- ख- पूँजीगत										
III- स्थायी अग्रिमों एवं रोकड़ शेष निवेश सहित अथ रोकड़ शेष		(-)739.32		216.23	III-भारतीय रिजर्व बैंक से अथ अधिविकर्ष					
IV- विविध पूँजीगत प्राप्तियां		--			IV-पूँजीगत परिव्यव सामान्य सेवाएं	2,864.49	383.52	3,115.51		3,499.03
					सामाजिक सेवाएं	88.51	10.66	197.71	208.37	
					शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	792.03	158.70	882.36	1,041.06	
					स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	299.29	82.86	212.86	295.72	
					जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	117.23	--	285.53	285.53	
					सूचना एवं प्रसारण	0.98	0.51	0.26	0.77	
					अनुपूर्चित जातियों, अनुपूर्चित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	6.63	--	8.64	8.64	
					सामाजिक कल्याण एवं घोषणा	12.91	6.00	9.93	15.93	
					अन्य	0.60	--	0.75	0.75	
					आर्थिक सेवाएं	1,983.95	214.16	2,035.44	2,249.60	
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	48.00	(-)2.77	53.22	50.45	
					अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4.61	--	3.49	3.49	
					मिशन्ड एवं बाढ़ नियंत्रण	142.21	5.01	196.35	201.36	
					ऊर्जा	265.00	--	202.78	202.78	
					उद्योग एवं खनिज	64.94	5.00	51.33	56.33	
					परिवहन	1,327.14	206.92	1,376.69	1,583.61	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	132.05	--	151.58	151.58	
					योग	2,864.49			3,499.03	
V-ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां		25.90		29.50	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	463.17				3,289.69
विद्युत परियोजनाओं से	-	-			विद्युत परियोजनार्थ	412.26			3,228.81	
सरकारी कर्मचारियों से	8.46		8.79		सरकारी कर्मचारियों को	13.42			7.03	
सहकारिता से	15.16		16.52		सहकारिता को	-			39.79	
अन्य से	2.28		4.19		अन्य को	37.49			14.06	
VI-अग्रेनित राजस्व अधिशेष		1,137.67		920.12	VI- अग्रेनित राजस्व धाटा					

प्राप्तियां						संवितरण				
	2015-16		2016-17			2015-16	2016-17			
1.	2.	3	4.	5	6	7	8	9	10	11
VII-लोक ऋण प्राप्तियां		6,129.21		8,603.31	VII-लोक ऋण की चुकौती	3,947.73				3,942.84
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतरिक्त आंतरिक ऋण	4,294.29		6,831.29		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतरिक्त आंतरिक ऋण	1,557.22			2,198.19	
अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन	1,785.40		1,670.72		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन-देन	2,319.18			1,670.72	
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	49.52		101.30		केन्द्रीय सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की चुकौती	71.33			73.93	
VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन		-		-	VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-			-	
IX-आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि		-		-	IX-आकस्मिकता निधि से व्यय				-	
X- लोक लेखा प्राप्तियां		11,515.45		13,629.90	X-लोक लेखा संवितरण	10,577.29				12351.15
लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	3,115.93		3,402.37		लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	2,397.50			2,197.86	
आरक्षित निधियां	235		249		आरक्षित निधियां	244.14			2,48.76	
निक्षेप एवं अग्रिम	2,408.35		2,727.39		निक्षेप एवं अग्रिम	2,293.49			2,546.02	
उचन्त एवं विविध	617.00		799.83		उचन्त एवं विविध	650.55			871.97	
प्रेषण	5,139.17		6,451.31		प्रेषण	4,991.62			6,486.54	
XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अंतर्शेष अधिविकर्ष					XI-अंत में रोकड़ शेष	216.23				316.35
					खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	--			-	
					स्थानीय अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	0.19			0.19	
					रिजर्व बैंक के पास निक्षेप	(-)340.76			(-) 443.27	
					रोकड़ शेष निवेश	556.80			759.43	
योग:		18,068.91		23,399.06	योग:	18,068.91				23,399.06

परिशिष्ट-1.4

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.1.1 तथा 1.9.1; पृष्ठ: 2 व 25)

भाग-ख: 31 मार्च 2017 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2017 तक	31 मार्च, 2017 तक
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय-	27,108.86	30,607.89
कम्पनियों, निगमों, आदि के शेयरों में निवेश	3,040.64	3,293.53
अन्य पूँजीगत परिव्यय	24,068.22	27,314.36
ऋण तथा अग्रिम-	2,784.07	6,044.26
विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	2,534.74	5,763.55
अन्य विकास ऋण	207.58	240.72
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	41.75	39.99
आरक्षित निधि निवेश		
रोकड़ -	216.23	316.35
खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	-	
भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप	(-) 340.76	(-) 443.27
विभागीय रोकड़ शेष	0.16	0.16
स्थायी अग्रदाय	0.03	0.03
रोकड़ शेष निवेश	556.80	759.43
प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य*	11,720.08	10,800.37
योग	41,829.24	47,768.87

* प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य भिन्न है, न कि चालू वर्ष हेतु राजकोषीय/राजस्व घाटे हैं।

दायित्व	31 मार्च, 2016 तक	31 मार्च, 2017 तक
आंतरिक ऋण	26,860.93	31,494.03
ब्याज वाले बाजार ऋण	16,860.42	19,023.07
ब्याजरहित बाजार ऋण	-	-
भारतीय जीवन एवं सामान्य बीमा निगम से ऋण	98.67	74.95
नाबांड से ऋण	1,931.10	2,101.10
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	81.48	95.99
केन्द्र सरकार की एन०एस०एस०एफ० को जारी विशेष प्रतिभूतियां	7,650.79	7,150.02
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	-	2,890.50
अन्य संस्थाओं से ऋण	238.46	158.40
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम-	1,049.05	1,076.43
आयोजनेतर ऋण	4.85	4.23
राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	1,044.07	1,072.07
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	-
केन्द्र प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	-
अन्य ऋण	0.13	0.13
आकस्मिकता निधि	5.00	5.00
लघु बचतें, भविष्य निधि, आदि	10,639.90	11,844.41
निक्षेप एवं अग्रिम	2,427.68	2,609.04
आरक्षित निधियां	219.32	219.57
उच्चत एवं विविध शेष	263.91	192.17
प्रेषण शेष	363.45	328.22
योग	41,829.24	47,768.87

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.4; पृष्ठ: 4) लिंग बजटीकरण

1. मार्च 2017 के अंत तक 100 प्रतिशत आवंटन की सीमा तक महिलाओं के लाभार्थ स्कीमों का बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	स्कीम का नाम	परिव्यय अंतर्गत			व्यय अंतर्गत	
		केन्द्र अंश	राज्य अंश	योग	केन्द्र अंश	राज्य अंश
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना	-	0.18	0.18	-	0.18
2	महर्षि बाल्मीकी छात्रवृत्ति योजना	-	0.05	0.05	-	0.02
3	कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना	-	3.50	3.50	-	1.61
4	सर्व शिक्षा अभियान/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (कन्याओं के लिए छात्रावास)	0.32	0.04	0.36	0.28	0.03
5	आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.	9.58	-	9.58	9.19	-
6	विधवा पेंशन	-	105.35	105.35	-	101.59
7	कन्याओं के लिए छात्रावास	1.25	1.25	2.50	-	1.01
8	राज्य स्तरीय महिला लेखक सम्मेलन	-	0.01	0.01	-	-
9	आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण	1.95	0.22	2.17	1.71	0.22
10	विशेष महिला उत्थान योजना	-	1.25	1.25	-	1.00
11	बलात्कार पिङ्गितों हेतु वित्तीय सहायता एवं सहायता सेवाएं	-	1.10	1.10	-	1.35
12	बेटी बचाओ बेटी पढाओ	0.35	-	0.35	0.28	-
13	राजीव गांधी किशोरी शक्ति योजना (सबला) (पोषण घटक)	13.11	1.47	14.58	13.11	1.47
14	बेटी है अनमोल योजना	-	9.51	9.51	-	9.51
15	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	-	6.62	6.62	-	6.62
16	विधवा पुर्नविवाह योजना	-	1.19	1.19	-	1.19
17	मदर टेरेसा मैत्री आशय सबल योजना	-	11.79	11.79	-	11.79
18	माता शबरी महिला योजना	-	0.66	0.66	-	0.66
19	हि.प्र. महिला विकास निगम, सोलन	-	1.40	1.40	-	1.40
20	महिलाओं के लिए स्व रोजगार	-	1.03	1.03	-	1.03
	योग	26.56	146.62	173.18	24.57	140.68

2. मार्च 2017 के अंत तक महिलाओं के लाभार्थ स्कीमों को अंशिक बजटीय आवंटन

क्रमांक	स्कीम का नाम	परिव्यय अंतर्गत			व्यय अंतर्गत	
		केन्द्र अंश	राज्य अंश	योग	केन्द्र अंश	राज्य अंश
1	2	3	4	5	6	7
1	नीली क्रांति मिशन: मत्स्य पालन का एकीकृत विकास एवं प्रबंधन	0.90	0.04	0.94	0.90	0.04
2	मधुमक्खी पालन का विकास	-	0.03	0.03	-	0.03
3	पुष्टोत्पादन का विकास	-	0.02	0.02	-	0.02
4	मशरूम खेती योजना का विकास	-	0.02	0.02	-	0.02
5	किसानों हेतु प्रशिक्षण	-	0.03	0.03	-	0.02
6	फल प्रसंस्करण योजना	-	0.03	0.03	-	0.03
7	चिप बड़िंग	-	0.21	0.21	-	0.19
8	स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना	-	3.74	3.74	-	2.21
9	डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना एस.वी.	-	1.80	1.80	-	1.82
10	डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना अ.पि.व.	-	1.66	1.66	-	1.69
11	ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना	-	0.34	0.34	-	0.19
12	आई.आर.डी.पी. छात्रवृत्ति योजना	-	3.45	3.45	-	2.72
13	इंदिरा गांधी बारहवीं पास उत्कृष्ट छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	-	0.04	0.04	-	0.03
14	आर.आई.एम.एस.	-	0.02	0.02	-	0.02
15	सैनिक स्कूल सुजानपुर, टिहरा छात्रवृत्ति योजना	-	0.23	0.23	-	-
16	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	-	1.75	1.75	-	0.96
17	सर्व शिक्षा अभियान/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	257.38	28.60	285.98	150.75	15.46
18	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	39.48	-	39.48	39.35	-
19	वृद्धावस्था पेंशन	-	166.06	166.06	-	164.18
20	विकलांगों हेतु छात्रवृत्ति	-	1.03	1.03	-	1.02
21	विकलांगों हेतु विवाह अनुदान	-	0.36	0.36	-	0.29
22	कम्प्यूटर अनुप्रयोग	2.00	3.33	5.33	1.27	1.43
23	अंतर्जातीय विवाह हेतु पुरस्कार	0.92	0.91	1.83	0.84	0.84
24	अत्याचार पीड़ितों के लिए मुआवजा	0.41	0.40	0.81	0.12	0.12
25	अनुवर्ती कार्यक्रम	-	1.45	1.45	-	1.36
26	नौकरी/आउटसोर्सिंग गारंटी के साथ कौशल उन्नयन	-	0.38	0.38	-	0.29

1	2	3	4	5	6	7
27	राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना	4.50	-	4.50	-	3.82
28	आवास सब्सिडी	-	26.73	26.73	-	26.70
29	राजस्व आवास योजना	-	3.87	3.87	-	3.87
30	एकीकृत बाल विकास योजना (प्रशिक्षण)	199.32	21.58	220.90	167.45	15.45
31	विशेष पोषण योजना	55.08	6.48	61.56	55.08	6.48
32	मुख्यमंत्री बाल उद्घार योजना	-	5.20	5.20	-	5.20
33	राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना	-	0.18	0.18	-	0.18
34	आत्रियों का नवीकरण	-	1.00	1.00	-	1.00
35	एकीकृत बाल सुरक्षा योजना	23.24	2.22	25.46	23.24	2.22
36	बेटी है अनमोल योजना	-	9.51	9.51	-	9.51
37	सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड	-	0.91	0.91	-	0.91
38	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	-	6.62	6.62	-	6.62
39	विधवा पुनर्विवाह योजना	-	1.19	1.19	-	1.19
40	मदर टेरेसा मैत्री आशय सबल योजना	-	11.79	11.79	-	11.79
41	माता शबरी महिला योजना	-	0.66	0.66	-	0.66
42	हि.प्र. महिला विकास निगम, सोलन	-	1.40	1.40	-	1.40
43	महिलाओं के लिए स्व रोजगार	-	1.03	1.03	-	1.03
	योग	583.23	316.30	899.53	439.00	293.01

स्रोत: महिला एवं बाल विकास विभाग

परिशिष्ट-1.6

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.2.2; पृष्ठ: 6)

2015-16 एवं 2016-17 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधि का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर निधियां) (लेखापरीक्षा किए बिना आंकड़े)			
भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी	
		2016-17	2015-16
1.	2.	3.	4.
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास	उपायुक्त	35.00	42.50
	योग		42.50
सहायता एवं अनुसंधान विकास (आर. एंड डी. मिशन)	पर्यावरण, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग	3.92	3.65
	योग		3.65
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास	विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय	2.83	--
	योग	2.83	--
अनुसूचित जनजाति को कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाओं एवं अनुकरणीयों को पुरुस्कार हेतु एन.जी.ओ. को सहायता अनुदान	स्पिति विकास के लिए रिनचेन जांगपो सोसाइटी डी गोम्पा बौद्ध सांस्कृतिक सोसाइटी बौद्ध दर्शन एवं जनजातीय सांस्कृतिक सोसाइटी अध्ययन संस्थान, ताबो रामधा बौद्ध सोसाइटी हिमाचल सांस्कृतिक एसोसिएशन, मनाली, हिमाचल प्रदेश	1.45 0.13 0.75 0.12 0.32	0.02 0.07 0.23 0.06 --
	योग		0.38
ग्रिड अंतः क्रियात्मक अक्षय ऊर्जा एम.एन.आर.ई.	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास ऐजेंसी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड युको बैंक शोबला हाइड्रो पावर पराइवेट हिमाचल प्रदेश सरकारी बैंक सीमित	5.90 0.25 -- -- --	0.03 1.37 1.30 2.50 3.90
	योग	6.15	9.10
एकीकृत कृषि गणना एवं सांख्यिकी स्कीम	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	1.96 0.01	5.02 --
	योग	1.97	5.02
औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम आई.आई.यू.एस. डी.आई.पी.पी.	बद्दी अवसंरचना हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम	-- --	1.61 7.87
	योग		9.48
परिवहन सेवाएँ स्कीम	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	--	153.68
	योग		153.68
ऑफ ग्रिड डी आर पी एस	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास ऐजेंसी जैवप्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन विज्ञान, शूलीनी विश्वविद्यालय वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश कृषि मंत्रालय हिमाचल सलाहकार संगठन नेचर इंडिया हेतु वर्ल्ड वाइड फंड	27.21 0.03 0.03 0.36 -- --	41.03 -- -- -- 0.01 0.07
	योग	27.63	41.11
निर्यात विकास हेतु राज्यों को सहायता	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम सीमित	7.83	--
	योग	7.83	--
ऑटोमागबाइल उद्योग का विकास	हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम	21.10	--
	योग	21.10	--

1.	2.	3.	4.
उच्च शिक्षा योजना	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राजकीय पौलिटेक्निक, सुन्दरनगर	19.28 0.21	-- --
	योग	19.49	--
पिछड़े एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम सीमित	8.86	--
	योग	8.86	--
खाद्य संस्करण पर राष्ट्रीय मिशन	खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय	9.34	--
	योग	9.34	--
राष्ट्रीय कृषि बाजार (नाम)	हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड	5.70	--
	योग	5.70	--
एस.टी.टी. नियंत्रण सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समाज	9.74	--
	योग	9.74	--
विकलांग व्यक्तियों के उत्थान से सम्बन्धित योजना के क्रियान्वयन से उत्पन्न स्कीम	विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण विभाग	5.10	--
	योग	5.10	--
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारंटी सोसाइटी	0.20 104.12	-- --
	योग	104.32	--
सीमा प्रबंधन हेतु योजना	अधिशासी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लौक निर्माण विभाग, भाबानगर	30.00	--
	योग	30.00	--
स्वदेश दर्शन	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड	19.95	--
	योग	19.95	--
अन्य योजनाएं	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	92.18	75.91
	योग	92.18	75.91
अन्य	--	43.30	3.85
	योग	43.30	3.85
	सकल योग	457.18	344.68

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट-1.7

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.2; पृष्ठ: 22)

31 मई 2017 तक अद्यतन अंतिम रूप से तैयार लेखानुसार निवेश पर प्रतिफल हेतु प्रदत्त शेयर पूँजी का राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	कम्पनी का नाम	31.03.2017 को प्रदत्त पूँजी (एस जी)	घाटा	लाभ
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम सीमित	11.80	0.86	--
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	38.76	3.14	--
3	हिमाचल प्रदेश राज्य बन विकास निगम सीमित	11.71	4.08	--
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	13.00	--	0.61
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	7.19	--	0.20
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	11.34	1.50	--
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित	25.00	--	--
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	30.82	--	8.25
9	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	7.16	--	5.47
10	व्यास घाटी विद्युत निगम सीमित	300.00	--	--
11	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	1,585.16	17.92	--
12	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	150.05	--	2.88
13	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम	522.03	113.51	--
14	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	3.51	--	2.12
15	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम सीमित	3.72	--	1.01
16	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित	9.25	--	0.69
17	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	12.30	--	1.40
18	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	0.007	--	0.03
19	हिमाचल प्रदेश पेय पदार्थ सीमित	1.00	--	--
योग		2,743.80	141.01	22.66
सांविधिक निगम				
20	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	92.98	1.09	--
21	हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम	655.05	--	1.73
योग		748.03	1.09	1.73
अंकियाशील सरकारी कम्पनी				
22	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	16.75	--	--
23	हिमाचल वर्सटेड मिल्स लिमिटेड	--	--	--
योग		16.75	--	--
सकल योग		3,508.59	142.10	24.39

परिशिष्ट-1.8

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.3; पृष्ठ: 23)

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की लोक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्रास्थिति

क्रमांक	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)
परियोजनाएं-प्रदान की गई, पूर्ण तथा प्रचालनाधीन		
परिवहन विभाग		
1.	कांगड़ा बस अड्डा	9.50
2.	आईएस0बी0टी0, शिमला	15
पर्यटन एवं नागरिक उद्ययन विभाग		
3.	रज्जु मार्ग-सह-स्की केन्द्र, सोलंग नाला	15
4.	जाग्वा रज्जु मार्ग	15
स्वास्थ्य विभाग/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य पिण्ड		
5.	हिमाचल प्रदेश में आपात चिकित्सा परिवहन सेवा	100
6.	हिमाचल प्रदेश में सचल डाइनोस्टिक इकाइयाँ	5
7.	हिमाचल प्रदेश में हिमोडायलिसिस इकाइयाँ	5
8.	जे एस एस के ऐम्बुलेंस का संचालन एवं रख-रखाव	5
9.	सी.टी. स्कैन	5
10.	24x7 ट्रॉमा केन्द्र	5
परियोजनाएं- प्रदान की गई तथा कार्यान्वयनाधीन		अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)
परिवहन विभाग		
11.	मकलोड़गंज बस अड्डा	5
पर्यटन एवं नागरिक उद्ययन विभाग		
12.	धर्मशाला मकलोड़गंज रज्जू मार्ग	140
13.	हिमानी चामुण्डा रज्जू मार्ग	280
14.	पल्चान रोहतांग रज्जू मार्ग	350
15.	कुल्लू बाईपास से बिजली महादेव यात्री रज्जू मार्ग	100
शहरी विकास विभाग		
16.	पार्किंग परिसर, छोटा शिमला	15
17.	पार्किंग परिसर, संजौली	25
18.	पार्किंग परिसर, लिफ्ट	45
19.	पार्किंग परिसर, विकासनगर	10
20.	पार्किंग परिसर, पालमपुर	10
21.	पार्किंग परिसर, बिलासपुर	10
22.	पार्किंग परिसर, रोहदू	5
23.	टूटीकंडी-लिफ्ट-माल रोड रज्जू मार्ग	175
राजस्व विभाग		
24.	पार्किंग परिसर, (जेल रोड एवं जैन्सु का नोन) मण्डी	75

स्रोत: हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ: 36)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जिनमें अधिक व्यय प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	अधिक व्यय	व्यय अधिक्य की प्रतिशतता (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व- दत्तमत्त						
1.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2,410.36	2,598.65	188.29	--
पूँजीगत-दत्तमत्त						
2.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल	995.26	1,103.26	108.00	--
3.	23	विद्युत विकास	471.65	3,158.66*	2,687.01	--
पूँजीगत-प्रभारित						
4.	29	वित्त	3,888.92	3,942.84	53.92	--
योग			7,766.19	10,803.41	3,037.22	

* उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित है

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.1; पृष्ठ: 37)

नियमन के लिए अपेक्षित विगत वर्षों के प्रावधानों पर आधिक्य

वर्ष	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन की संख्याएं	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)	लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने की स्थिति
2011-12	6 अनुदान 1 विनियोजन	9,10,13,15,21, तथा 23 29	752.51	लेखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भेजी गई। लोक लेखा समिति द्वारा अभी भी प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी/विनियमन किया जाना है।
2012-13	11 अनुदान 3 विनियोजन	1,2,3,10,11,13,14,18,19,21 तथा 23 2,3 तथा 29	703.08	
2013-14	10 अनुदान 3 विनियोजन	2,3,4,5,10,13,16,17,21 तथा 28 2,7 तथा 79	474.86	
2014-15	10 अनुदान 6 विनियोजन	1,2,6,11,12,13,18,19, 23 (राजस्व) तथा 23 (पूँजीगत) 1, 10, 19, 29 (राजस्व), 29 (पूँजीगत) तथा 31	1,585.69	बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय/बचत आधिक्य के विनियमन पर वित्त विभाग से आत्म प्रेरित उत्तर अभी तक प्रतीक्षित हैं। अतः लोक लेखा समिति द्वारा अभी भी प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी/विनियमन किया जाना है।
2015-16	7 अनुदान 4 विनियोजन	5,8,10,13,19,23 तथा 28 13,16, 29 (राजस्व), 29 (पूँजीगत)	2,848.43	
योग			6,364.57	

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.1; पृष्ठ: 37)

नियमन के लिए अपेक्षित 2016-17 के दौरान प्रावधान पर आधिक्य

(₹ में)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या तथा शीर्षक	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत्त				
1.	02-राज्यपाल व न्याय परिषद	17,67,02,000	17,82,33,566	15,31,566
2.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	24,10,35,78,049	25,98,64,58,108	1,88,28,80,059
राजस्व-प्रभारित				
3.	01-विधान सभा	69,39,000	69,57,000	17,900
4.	16-वन एवं वन्य जीव	44,14,000	67,01,000	22,87,000
पूँजीगत-दत्तमत्त				
5.	03- न्याय प्रशासन	57,08,17,000	57,08,17,531	531
6.	10-लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन	9,95,25,68,000	11,03,25,62,918	1,07,99,94,918
7.	23-विद्युत विकास	4,71,65,01,000	31,58,66,43,000*	26,87,01,42,000
पूँजीगत-प्रभारित				
8.	29-वित्त	38,88,91,67,000	39,42,83,95,497	53,92,28,497
योग		78,42,06,86,049	1,08,79,67,68,620	30,37,60,82,471 अर्थात् ₹ 3,037.61करोड़

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.3; पृष्ठ: 37)

2016-17 के दौरान प्रावधानरहित व्यय

(₹ लाख में)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या व नाम	प्रावधानरहित व्यय की राशि
05- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन		
1.	2401/00/111/04 (कृषि जनगणना)	34.89
2.	2702/80/800/07 (सिंचाई आंकड़ों में सुधार के लिए योजना)	24.66
10- लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन		
3.	5054/04/337/15 (मध्यस्थता मामलों के लिए भुगतान)	2,446.44
31-जनजातीय विकास		
4.	2215/01/796/04 (स्टॉक)	399.13
5.	2215/01/796/05 (स्टॉक विनिर्माण)	5.96
6.	2215/01/796/06 (विविध लोक निर्माण अग्रिम)	51.45
7.	2702/80/796/08 (उचन्त (स्टॉक) पर व्यय)	539.55
8.	2702/80/796/09 (उचन्त (स्टॉक विनिर्माण) पर व्यय)	15.02
9.	2702/80/796/10 (उचन्त (विविध लोक निर्माण अग्रिम) पर व्यय)	153.57
10.	4059/01/796/10 (न्यायपालिका अकादमी)	45.00
	योग	3,715.67
		अर्थात्
		₹ 37.16 करोड़

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.4; पृष्ठ: 37)
मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ हजार में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचतें	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	27,94,29,62	27,90,89,19	13,88,30	10,47,87
2.	11-कृषि	3,51,38,26	3,32,40,35	27,03,71	8,05,80
3.	14- शिक्षा	3,13,76,91	2,84,50,02	35,17,98	5,91,09
4.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	6,65,47,80	6,57,41,16	20,78,19	12,71,55
5.	21-सहकारिता	34,31,27	34,14,68	10,23,23	10,06,64
6.	30-विविध सामान्य सेवाएं	84,57,34	84,28,92	13,00,46	12,72,04
पूंजीगत-दत्तमत्त					
7.	07- पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	54,87,00	42,51,74	13,68,00	1,32,74
8.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	5,39,30,83	3,97,73,49	1,85,71,81	44,14,47
9.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	13,70,01	10,52,96	4,44,62	1,27,57
10.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	8,23,08,50	7,36,78,17	99,30,93	13,00,60
योग		56,74,77,54	53,71,20,68	4,23,27,23	1,19,70,37 अर्थात् ₹119.70करोड़

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.4; पृष्ठ: 37)

विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए^(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदानों का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	जोड़	व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत्त							
1.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2,261.33	149.03	2,410.36	2,598.65	188.29
पूंजीगत-दत्तमत्त							
2.	10	लोक निर्माण-सङ्केत, पुल व भवन	875.87	119.39	995.26	1,103.26	108.00
3.	23	विद्युत विकास	407.08	64.57	471.65	3,158.66*	2,687.01
पूंजीगत-प्रभारित							
4.	29	वित्त	2,228.52	1,660.40	3,888.92	3,942.84	53.92
योग			5,772.80	1,993.39	7,766.19	10,803.41	3,037.22

* उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित है

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ: 38)

निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	तेला शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य (+)/बचत (-)
1.	5	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-00-102-03	(-) 1.38	3.77
2.			2053-00-093-01	(-) 0.53	14.27
3.			2245-02-193-01	39.00	1.00
4.			2245-02-109-01	31.00	(-) 1.00
5.	8	शिक्षा	2202-01-111-01	(-) 23.00	9.43
6.	9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-05-105-05	0.03	2.12
7.			2210-05-105-12	16.50	(-) 2.12
8.	10	लोक निर्माण कार्य-सङ्कें, पुल एवं भवन	3054-04-105-02	16.97	(-) 8.23
9.	13	सिचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215-01-102-12	(-) 129.07	2.85
10.			2215-01-799-01	50.41	76.51
11.			2215-01-799-03	65.28	138.62
12.			2215-01-101-02	86.23	(-) 2.48
13.			2215-01-101-04	31.66	(-) 2.85
14.			2215-01-102-03	(-) 121.42	(-) 19.15
15.			2700-01-001-01	(-) 9.08	(-) 1.04
16.			2701-15-001-01	(-) 0.01	(-) 2.21
17.	29	वित्त	2071-01-104-02	(-) 19.42	3.22
18.			2071-01-102-02	(-) 106.42	(-) 3.46
19.			2071-01-105-02	(-) 22.06	(-) 17.10
20.			2071-01-115-01	72.26	(-) 73.33
21.			2049-01-123-01	30.32	21.38
22.			2049-03-104-01	10.00	16.91
23.			2049-03-108-01	0.20	3.97
24.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	2215-01-789-03	0.88	1.86
25.			4215-01-789-08	36.03	(-) 20.22
26.			4215-01-789-08	4.00	(-) 2.02
27.			4215-01-789-08	(-) 2.81	(-) 1.90

स्रोत: विनियोजन तेले/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.3; पृष्ठ: 38)

व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष स्कीम/सेवा	जनवरी-मार्च 2017 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2017 में किया गया व्यय	2016-17 के दौरान कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी-मार्च 2017	मार्च 2017
1.	03- न्याय प्रशासन	4059-01-051-15	11.09	10.92	11.29	98.23	96.72
2.		4059-01-051-31	17.13	17.13	17.50	97.89	97.89
3.	05- भू राजस्व व जिला प्रशासन	2245-02-101-01	21.38	17.36	30.69	69.66	56.57
4.	07- पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	4055-00-211-03	15.05	14.65	27.62	54.49	53.04
5.		2202-02-109-05	14.00	14.00	25.14	55.69	55.69
6.	08- शिक्षा	4202-01-202-08	30.00	30.00	30.00	100	100
7.		4210-03-105-05	99.49	99.49	99.49	100	100
8.		4210-03-105-06	43.31	43.31	43.31	100	100
9.		4210-03-105-07	46.67	46.67	46.67	100	100
10.	10- लोक निर्माण कार्य, सड़कें, पुल व भवन	2216-05-053-01	12.49	10.26	15.60	80.06	65.77
11.		4059-80-051-03	22.19	19.01	28.34	78.30	67.08
12.		4059-80-051-05	11.84	10.73	15.38	76.98	69.77
13.		4216-01-106-01	30.35	27.84	35.23	86.15	79.02
14.		5054-03-101-01	33.27	27.08	38.80	85.75	69.79
15.		5054-04-337-09	274.54	245.17	372.29	73.74	65.85
16.		5054-04-337-10	38.35	33.33	50.00	76.70	66.67
17.		5054-04-337-11	34.20	32.79	50.01	68.39	65.57
18.	12- उद्यान	2401-00-119-56	14.73	14.73	22.62	65.12	65.12
19.		2401-00-119-57	27.50	27.50	27.50	100	100
20.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4215-01-800-01	21.42	19.11	35.01	61.18	54.58
21.		4701-20-800-02	12.24	12.24	12.24	100	100
22.		4702-00-101-03	13.19	12.28	22.69	58.13	54.12
23.		4705-00-313-01	20.00	15.35	27.99	71.45	54.84
24.	15- आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	5475-00-800-03	13.45	11.64	20.15	66.75	57.77
25.	20-ग्रामीण विकास	2216-03-102-06	22.63	12.50	25.00	90.52	50.00
26.		2505-02-101-03	10.00	10.00	10.00	100	100
27.	22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408-01-102-12	13.83	13.83	13.83	100	100
28.	29-वित्त	2049-01-101-04	12.78	12.78	25.56	50.00	50.00
29.		2049-01-101-05	34.51	34.51	60.49	57.05	57.05
30.		2049-01-101-07	19.58	19.58	39.15	50.01	50.01
31.		2049-01-101-15	18.33	18.33	36.65	50.01	50.01
32.		2049-01-101-80	12.24	12.24	24.48	50.00	50.00
33.		2049-01-101-95	21.08	21.08	42.15	50.01	50.01
34.	31-जनजातीय विकास	3054-04-796-05	29.61	21.29	35.09	84.38	60.67
35.		4202-01-796-01	10.91	10.37	13.42	81.30	77.27
36.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	2225-01-789-10	11.65	11.65	11.65	100	100
37.		4215-01-789-02	28.78	25.44	44.95	64.03	56.60
38.		5054-03-789-02	49.39	44.62	73.27	67.41	60.90
39.		5054-04-789-04	18.25	15.28	21.04	86.74	72.62
योग			1191.45	1096.09	1582.29		

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4; पृष्ठ: 38)

विभिन्न अनुदान जहां बचत प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचतें	प्रतिशत (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व-दत्तमत					
1.	03	न्याय प्रशासन	151.02	9.82	
2.	04	सामान्य प्रशासन	167.97	11.62	
3.	05	भू राजस्व व जिला प्रशासन	726.48	84.36	
4.	06	आबकारी एवं कराधान	62.00	1.84	
5.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	1,092.66	37.08	
6.	08	शिक्षा	5,262.91	864.96	
7.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,618.40	295.90	
8.	10	लोक निर्माण कार्य-सङ्गठन, पुल एवं भवन	2,804.77	13.88	
9.	11	कृषि	359.44	27.04	
10.	12	उद्यान	258.08	17.22	
11.	14	पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यकी	319.68	35.18	
12.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	83.15	28.40	34
13.	16	वन एवं वन्य-जीव	454.48	57.50	
14.	18	उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	108.22	8.46	
15.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	678.19	20.78	
16.	20	ग्रामीण विकास	1,218.41	121.61	
17.	21	सहकारिता	44.38	10.23	23
18.	22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	236.43	41.05	
19.	23	विद्युत विकास	967.00	146.35	
20.	24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	29.45	6.02	20
21.	25	सङ्केत एवं जल परिवहन	293.54	1.06	
22.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	241.23	71.98	30
23.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण आयोजना तथा आवास	581.73	41.75	
24.	29	वित्त	4,281.55	97.70	
25.	30	विविध सामान्य सेवाएं	97.29	13.00	
26.	31	जनजातीय विकास	1,033.38	177.85	
27.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	1,126.07	321.14	29
राजस्व-प्रभारित					
28.	03	न्याय प्रशासन	40.85	5.95	
29.	04	सामान्य प्रशासन	10.47	1.22	
30.	29	वित्त	3,400.00	41.09	
पूँजीगत-दत्तमत					
31.	05	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	10.88	2.84	26
32.	07	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	56.20	13.68	24
33.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	260.77	2.93	
34.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	583.45	185.72	32
35.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	273.27	18.95	
36.	16	वन एवं वन्य-जीव	8.40	3.05	36
37.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	14.98	4.45	30
38.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	58.72	4.74	
39.	29	वित्त	13.02	1.51	
40.	31	जनजातीय विकास	273.82	20.88	
41.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	836.09	99.31	
पूँजीगत-प्रभारित					
42.	10	लोक निर्माण कार्य-सङ्गठन, पुल एवं भवन	69.99	31.78	45
योग			30,208.82	3,001.88	

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ: 40)

क: वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख)	अभ्यर्पण राशि (₹ 50लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	07	4055-00-211-03	368.00	368.00	100
2.	08	2202-01-102-03	84.00	84.00	100
3.	08	2202-01-111-01	23,692.00	13,927.86	59
4.	08	2202-02-109-10	1,645.00	1,336.73	81
5.	08	2202-03-103-02	489.53	251.07	51
6.	08	2202-04-103-05	54.00	54.00	100
7.	08	2202-80-107-15	100.00	100.00	100
8.	08	2225-03-277-06	121.00	119.95	99
9.	08	4202-01-202-05	54.62	53.48	98
10.	09	2210-05-105-07	329.00	329.00	100
11.	09	2210-06-101-07	646.40	343.81	53
12.	09	2210-06-101-21	1,499.00	1,499.00	100
13.	09	2211-00-001-01	95.20	88.56	93
14.	09	2211-00-800-07	362.00	362.00	100
15.	10	3054-04-105-05	376.63	343.13	91
16.	11	2401-00-800-13	241.00	133.24	55
17.	11	2401-00-800-13	2,168.00	1,195.77	55
18.	11	2401-00-800-15	1,185.00	596.02	50
19.	11	2401-00-800-15	132.00	72.57	55
20.	12	2401-00-119-51	50.00	50.00	100
21.	12	2401-00-119-51	658.00	387.56	59
22.	13	4701-20-800-02	1,778.00	1,778.00	100
23.	13	4701-23-800-01	59.00	59.00	100
24.	13	4701-24-800-01	59.00	59.00	100
25.	13	4701-25-800-01	59.00	59.00	100
26.	13	4701-26-800-01	59.00	59.00	100
27.	13	4702-00-101-06	4,442.00	4,442.00	100
28.	13	4702-00-101-06	561.00	561.00	100
29.	13	4702-00-101-07	2,962.00	2,962.00	100
30.	13	4702-00-101-07	374.00	374.00	100
31.	13	4702-00-800-14	400.00	400.00	100
32.	13	4705-00-313-01	1,974.00	1,725.00	87
33.	13	4705-00-313-01	224.00	195.50	87
34.	13	4711-01-800-12	790.00	790.00	100
35.	13	4711-01-800-13	524.00	524.00	100
36.	13	4711-01-800-15	294.00	294.00	100
37.	13	4711-01-800-15	1,009.00	1,009.00	100
38.	13	4711-01-800-16	75.00	75.00	100
39.	13	4711-01-800-17	449.00	449.00	100
40.	13	4711-01-800-17	1,519.00	1,519.00	100
41.	14	2403-00-101-10	182.38	168.74	93
42.	14	2404-00-191-04	300.00	300.00	100
43.	15	2202-01-101-03	580.00	580.00	100
44.	15	2210-03-104-01	193.74	126.13	65
45.	15	3451-00-101-19	400.00	400.00	100
46.	15	3451-00-101-20	110.00	93.37	85

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख)	अभ्यर्पण राशि (₹ 50लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
47.	15	3451-00-101-22	500.00	250.00	50
48.	15	5475-00-800-02	1,807.00	1,807.00	100
49.	16	2406-01-101-08	2,632.00	1,518.99	58
50.	16	4406-02-110-10	184.00	175.46	95
51.	18	2851-00-103-25	98.00	67.45	69
52.	19	2225-03-102-01	299.00	177.65	59
53.	19	2235-02-103-01	137.52	113.82	83
54.	19	2235-60-200-24	50.00	50.00	100
55.	19	4235-02-800-01	178.00	161.80	91
56.	19	4235-02-800-01	540.00	281.81	52
57.	23	4801-01-190-07	2,049.00	2,049.00	100
58.	23	6801-00-190-01	18,239.00	14,110.86	77
59.	27	2203-00-105-06	948.00	794.93	84
60.	27	2203-00-112-02	105.00	105.00	100
61.	27	2230-03-003-07	100.00	69.39	69
62.	27	2230-03-003-07	185.00	159.05	86
63.	27	2230-03-003-10	299.00	299.00	100
64.	27	4202-02-104-01	286.00	286.00	100
65.	27	4202-02-104-02	188.00	188.00	100
66.	28	2217-80-191-47	252.50	252.50	100
67.	28	2217-80-191-48	3,366.00	2,296.00	68
68.	28	2217-80-191-50	173.00	123.23	71
69.	28	2217-80-191-51	400.00	280.09	70
70.	28	2217-80-192-04	565.59	345.64	61
71.	28	2217-80-193-14	303.00	257.78	85
72.	29	2235-60-102-05	1,000.00	897.06	90
73.	30	2204-00-800-02	98.00	98.00	100
74.	31	2202-01-796-11	901.02	504.79	56
75.	31	2202-01-796-12	3,240.00	2,250.75	69
76.	31	2202-03-796-02	297.00	258.90	87
77.	31	2202-03-796-08	810.00	432.00	53
78.	31	2210-06-796-14	204.00	153.75	75
79.	31	2211-00-796-09	219.00	200.80	92
80.	31	2211-00-796-10	50.00	50.00	100
81.	31	2215-01-796-11	227.00	174.28	77
82.	31	2235-02-796-03	196.00	161.18	82
83.	31	2235-02-796-03	1,766.00	1,144.40	65
84.	31	2401-00-796-02	257.51	131.56	51
85.	31	2401-00-796-24	90.00	90.00	100
86.	31	2401-00-796-43	101.00	101.00	100
87.	31	2401-00-796-48	288.00	288.00	100
88.	31	2406-01-796-24	360.00	293.43	82
89.	31	2406-02-796-07	75.00	75.00	100
90.	31	2501-06-796-02	899.99	758.99	84
91.	31	2501-06-796-03	81.00	61.09	75
92.	31	2501-06-796-05	142.00	142.00	100
93.	31	2505-01-796-07	4,860.00	4,860.00	100
94.	31	4235-02-796-01	74.00	65.42	88
95.	31	4702-00-796-08	1,013.00	736.73	73
96.	31	4705-00-796-01	270.00	270.00	100

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख)	अभ्यर्पण राशि (₹ 50लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
97.	31	4711-01-796-01	720.00	720.00	100
98.	31	5054-03-796-03	270.00	270.00	100
99.	32	2202-01-789-03	1,889.00	1,229.59	65
100.	32	2202-01-789-07	9,068.00	5,526.89	61
101.	32	2202-01-789-07	1,008.00	614.55	61
102.	32	2202-03-789-05	252.00	168.00	67
103.	32	2204-00-789-04	68.00	68.00	100
104.	32	2210-06-789-01	574.00	574.00	100
105.	32	2235-02-789-01	549.00	290.78	53
106.	32	2235-02-789-14	89.00	81.87	92
107.	32	2401-00-789-25	92.00	54.11	59
108.	32	2401-00-789-25	830.00	492.27	59
109.	32	2401-00-789-28	252.00	146.00	58
110.	32	2401-00-789-31	282.00	216.01	77
111.	32	2401-00-789-31	71.00	71.00	100
112.	32	2401-00-789-38	806.00	444.88	55
113.	32	2401-00-789-38	202.00	167.73	83
114.	32	2406-01-789-08	1,008.01	927.07	92
115.	32	2406-01-789-09	73.00	73.00	100
116.	32	2406-01-789-10	60.00	54.07	90
117.	32	2406-02-789-01	71.00	71.00	100
118.	32	2501-06-789-03	227.01	144.15	63
119.	32	2501-06-789-04	397.00	397.00	100
120.	32	2501-06-789-05	113.00	113.00	100
121.	32	2505-01-789-02	13,603.00	11,813.99	87
122.	32	4235-02-789-01	207.00	207.00	100
123.	32	4701-20-789-04	680.00	680.00	100
124.	32	4701-20-789-04	76.00	76.00	100
125.	32	4702-00-789-06	189.00	188.02	99
126.	32	4702-00-789-06	1,700.00	1,700.00	100
127.	32	4702-00-789-06	189.00	188.02	99
128.	32	4702-00-789-07	126.00	126.00	100
129.	32	4702-00-789-07	1,134.00	1,134.00	100
130.	32	4702-00-789-09	100.00	100.00	100
131.	32	4705-00-789-01	76.00	69.83	92
132.	32	4705-00-789-01	756.00	704.50	93
133.	32	4711-01-789-09	76.00	76.00	100
134.	32	4711-01-789-09	302.00	302.00	100
135.	32	4711-01-789-10	176.00	176.00	100
136.	32	4711-01-789-12	101.00	101.00	100
137.	32	4711-01-789-15	151.00	151.00	100
138.	32	4711-01-789-15	605.00	605.00	100
योग		1,44,349.70	1,12,430.40		

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ: 40)

ख: वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत अध्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्ष	स्कीम का नाम	अध्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	कारण
1.	07-पुलिस एवं सम्बद्ध संस्थान	4055-00-211-03	पुलिस बल का आधुनिकीकरण	368.00	पुलिस आवासीय भवन पर कम खर्च के कारण
2.	08-शिक्षा	2202-01-102-03	कमज़ोर वर्ग के छात्रों की फीस अदायगी	84.00	जरूरी औपचारिकताओं का पूरा न करने के कारण
3.		2202-04-103-05	साक्षर भारत योजना	54.00	-उपरोक्त-
4.		2202-80-107-15	प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना	100.00	-उपरोक्त-
5.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-05-105-07	सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों का उन्नयन	329.00	-उपरोक्त-
6.		2210-06-101-21	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	1,499.00	-उपरोक्त-
7.		2211-00-800-07	राष्ट्रीय एम्बूलेंस सेवा	362.00	-उपरोक्त-
8.	12-बागबानी	2401-00-119-51	सेब तथा आम के लिए मौसम आधारित फसल बीमा	50.00	स्कीम स्थगित होने के कारण
9.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4701-20-800-02	अन्य व्यय	1,778.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारित न होने के कारण
10.		4701-23-800-01	कोंसिल झेरेडा मंडप परियोजना पर व्यय	59.00	-उपरोक्त-
11.		4701-24-800-01	परचू खड्ड के बाएँ तथा दाएँ किनारों पर वर्षा संचयन संरचना का निर्माण	59.00	-उपरोक्त-
12.		4701-25-800-01	मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण, सुकका हर, जिला कांगड़ा	59.00	-उपरोक्त-
13.		4701-26-800-01	मध्चम सिंचाई परियोजना का निर्माण, प्रिनी, जिला कुल्लू	59.00	-उपरोक्त-
14.		4702-00-101-06	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में लिफ्ट सिंचाई योजना (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)	4,442.00	-उपरोक्त-
15.		4702-00-101-06	-उपरोक्त-	561.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारण न करने के कारण सम्बद्ध राज्यांश अनुप्रयुक्त रहा
16.		4702-00-101-07	प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में सिंचाई प्रवाह योजना	2,962.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारित न होने के कारण
17.		4702-00-101-07	-उपरोक्त-	374.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारण न करने के कारण सम्बद्ध राज्यांश अनुप्रयुक्त रहा
18.		4702-00-800-14	जल विज्ञान परियोजना	400.00	प्रयोजना के चरण-II कार्यों की पूर्णता के कारण निधि अप्रयुक्त रही
19.		4711-01-800-12	बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत डाउन स्ट्रीम से पंजाब बाढ़द्वी चरण-III तक स्वान का चैनलाइजेशन	790.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारित न होने के कारण
20.		4711-01-800-13	बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दौलतपुर से गोरेट पुल तक स्वान तथा इसकी सहायक नदियों का चैनलाइजेशन	524.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारण न करने के कारण सम्बद्ध राज्यांश अनुप्रयुक्त रहा
21.		4711-01-800-15	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत चौंछ खड्ड तहसील इंदोरा में बाढ़ नियंत्रण कार्य	294.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारण न करने के कारण सम्बद्ध राज्यांश अनुप्रयुक्त रहा

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्ष	स्कीम का नाम	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	कारण
22.	14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यकी	4711-01-800-15	-उपरोक्त-	1,009.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारित न होने के कारण
23.		4711-01-800-16	जिला कुल्लू में पलछन से औट का चेनलाइजेशन	75.00	-उपरोक्त-
24.		4711-01-800-17	जिला शिमला में पब्बर नदी का चेनलाइजेशन	449.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारण न करने के कारण सम्बद्ध राज्यांश अनुप्रयुक्त रहा
25.		4711-01-800-17	-उपरोक्त-	1,519.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारित न होने के कारण
26.	14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यकी	2404-00-191-04	डेयरी को-ऑपरेटिव सोसाइटी को अनुदान	300.00	राज्य में पात्र डेयरी को-ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा प्रस्ताव योजना प्राप्त न होने के कारण
27.	15-आयोजना एवं पिछ़ड़ा क्षेत्र उप-योजना	2202-01-101-03	माध्यमिक स्कूल	580.00	रिक्त पदों की भर्ती न होने के कारण
28.		3451-00-101-19	कौशल विकास परिषद	400.00	जरूरी औपचारिकताओं का पूरा न करने के कारण
29		5475-00-800-02	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना	1,807.00	भवन संरचना पर कम खर्च के कारण
30.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2235-60-200-24	सफाई कर्मचारियों एवं जल उपचार संयंत्र कर्मचारियों का जीवन बीमा	50.00	स्कीम के क्रियान्वयन न होने के कारण
31.	23-विद्युत विकास	4801-01-190-07	हिमाचल प्रदेश संचरण निगम सीमित को इकिवटी योगदान	2,049.00	कम निवेश के कारण
32.	27-श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण	2203-00-112-02	विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज	105.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारित न होने के कारण
33.		2230-03-003-10	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का मॉडल आई.टी.आई. में उन्नयन	299.00	-उपरोक्त-
34.		4202-02-104-01	भवन	286.00	-उपरोक्त-
35.		4202-02-104-02	महिला छात्रावासों का निर्माण	188.00	-उपरोक्त-
36.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा भवन	2217-80-191-47	स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सहायता अनुदान	252.50	योजना के अंतर्गत केन्द्र से हिस्सेदारी प्राप्त न होने के कारण
37.	30-अन्य सामान्य सेवाएं	2204-00-800-02	एन.एस.एस. हेतु हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	98.00	भारत सरकार द्वारा स्कीम/निधि स्वरूप का राज्य से केन्द्र में बदलाव के कारण
38.	31-जनजातीय विकास	2211-00-796-10	राष्ट्रीय एन्ड्रूलेंस सेवा (एन.ए.एस.)	50.00	जरूरी औपचारिकताओं का पूरा न करने के कारण
39.		2401-00-796-24	सेब के मौसम आधारित फसल बीमा योजना पर व्यय	90.00	सेब के मौसम आधारित फसल बीमा योजना पर कम सहायता अनुदान के कारण
40.		2401-00-796-43	उत्तर पूर्वी एवं हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन के अंतर्गत सुरक्षित खेती योजना	101.00	जरूरी औपचारिकताओं का पूरा न करने के कारण
41.		2401-00-796-48	बागवानी के एकीकृत विकास पर व्यय	288.00	-उपरोक्त-
42.		2406-02-796-07	शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित के लिए प्रबंधन कार्य योजना पर व्यय	75.00	निधियन प्रणाली में परिवर्तन के कारण
43.		2501-06-796-05	जिला ग्रामीण विकास संस्था प्रशासन	142.00	जरूरी औपचारिकताओं का पूरा न करने के कारण
44.		2505-01-796-07	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	4,860.00	-उपरोक्त-

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्ष	स्कीम का नाम	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	कारण
45.		4705-00-796-01	कमांड क्षेत्र विकास पर व्यय	270.00	-उपरोक्त-
46.		4711-01-796-01	बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर व्यय	720.00	-उपरोक्त-
47.		5054-03-796-03	सौ.आर.एफ. के अंतर्गत सड़कों का निर्माण	270.00	जनजातीय क्षेत्रों में सौ.आर.एफ. के अंतर्गत कार्य न होने के कारण
48.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	2204-00-789-04	पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान/राजीव गांधी खेल अभियान	68.00	हिस्सेदारी स्वरूप में बदलाव के कारण
49.		2210-06-789-01	एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	574.00	भारत सरकार द्वारा निधि प्राप्त न होने के कारण
50.		2401-00-789-31	उत्तर पूर्वी एवं हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन के अंतर्गत सुरक्षित खेती योजना	71.00	सब्सिडी मामलों कम प्राप्त होने के कारण
51.		2406-01-789-09	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.)	73.00	भारत सरकार द्वारा निधि प्राप्त न होने के कारण
52.		2406-02-789-01	राष्ट्रीय उद्योगों एवं अभ्यारणों का विकास	71.00	-उपरोक्त-
53.		2501-06-789-04	जिला ग्रामीण विकास संस्था प्रशासन	397.00	-उपरोक्त-
54.		2501-06-789-05	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के अंतर्गत आजीविका कौशल	113.00	-उपरोक्त-
55.		4235-02-789-01	बहुउद्देशीय समुदाय/आंगनवाड़ी केन्द्र	207.00	-उपरोक्त-
56.		4701-20-789-04	फीना सिंह परियोजना	756.00	-उपरोक्त-
57.		4702-00-789-06	ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत विभिन्न जिलों में एल.आई.एस. सिंचाई योजना	1,700.00	-उपरोक्त-
58.		4702-00-789-07	विभिन्न जिलों में सिंचाई प्रवाह योजना	1,260.00	-उपरोक्त-
59.		4702-00-789-09	जल विज्ञान परियोजना	100.00	जरूरी औपचारिकताओं का पूरा न करने के कारण
60.		4711-01-789-10	बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दौलतपुर से गगरेट पुल तक स्वान तथा इसकी सहायक नदियों का चैनलाइजेशन	176.00	-उपरोक्त-
61.		4711-01-789-12	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत चौंछ खड्ड तहसील इंदौर में बाढ़ नियंत्रण कार्य	101.00	भारत सरकार द्वारा निधि प्राप्त न होने के कारण सम्बद्ध राज्यांश निस्तारित न होना
62.		4711-01-789-15	शिमला जिले में पब्वर नदी का चैनलाइजेशन	756.00	-उपरोक्त-
योग				37,962.50	

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ: 40)

31 मार्च 2017 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1.	05	2029- भू-राजस्व	129.88	40.78	31
2.	05	2029- भू-राजस्व	25.81	10.61	41
3.	05	2053- जिला प्रशासन	134.36	39.92	30
4.	07	2055-पुलिस	416.21	11.23	3
5.	08	2202-सामान्य शिक्षा	1,347.92	165.16	12
6.	08	2202-सामान्य शिक्षा	1,254.47	468.13	37
7.	08	2202-सामान्य शिक्षा	236.92	139.28	59
8.	08	2202-सामान्य शिक्षा	65.87	11.28	17
9.	08	2202-सामान्य शिक्षा	16.45	13.37	81
10.	08	2202-सामान्य शिक्षा	244.40	32.97	13
11.	08	2202-सामान्य शिक्षा	59.23	15.67	26
12.	09	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	210.40	46.85	22
13.	09	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	78.24	22.54	29
14.	09	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	330.84	55.07	17
15.	09	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	96.67	27.17	28
16.	09	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	14.99	14.99	100
17.	09	2211-परिवार कल्याण	183.61	79.26	43
18.	10	2059-लोक निर्माण कार्य	129.06	34.98	27
19.	10	3054-सड़क एवं पुल	165.28	51.79	31
20.	10	3054-सड़क एवं पुल	228.76	21.46	9
21.	10	3054-सड़क एवं पुल	109.65	19.59	18
22.	10	3054-सड़क एवं पुल	56.07	16.68	30
23.	10	3054-सड़क एवं पुल	604.83	118.32	20
24.	10	3054-सड़क एवं पुल	604.83	118.74	20
25.	10	3054-सड़क एवं पुल	56.40	17.05	30
26.	10	5054-सड़क एवं पुल पर पूंजीगत परिव्यय	64.74	22.86	35
27.	11	2401-फसल उत्पादन	21.68	11.96	55
28.	13	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	17.78	17.78	100
29.	13	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	44.42	44.42	100
30.	13	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	29.62	29.62	100
31.	13	4705-कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	19.74	17.25	87
32.	13	4711-खाद्य नियंत्रण परियोजनाएं पर पूंजीगत परिव्यय	10.09	10.09	100
33.	13	4711-खाद्य नियंत्रण परियोजनाएं पर पूंजीगत परिव्यय	15.19	15.19	100
34.	14	2403-पशुपालन	215.63	19.67	9

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
35.	15	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पर पूँजीगत परिव्यय	18.07	18.07	100
36.	16	2406-वानकी एवं बन्य जीवन	321.19	31.70	10
37.	16	2406-वानकी एवं बन्य जीवन	26.32	15.19	58
38.	20	2505-ग्रामीण रोजगार	355.37	70.88	20
39.	20	2515-अन्य ग्रामीण विकास योजना	100.35	26.58	26
40.	22	2408-खाद्य धंडारण	210.00	35.58	17
41.	23	2801-विद्युत	410.00	145.00	35
42.	23	4801-विद्युत योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	103.15	46.73	45
43.	23	4801-विद्युत योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	20.49	20.49	100
44.	23	6801-विद्युत योजनाओं के लिए ऋण	182.39	141.11	77
45.	27	2230-श्रम एवं रोजगार	99.00	45.25	46
46.	28	2217-शहरी विकास	33.66	22.96	68
47.	29	2071-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	581.60	116.23	20
48.	31	2202-सामान्य शिक्षा	32.40	22.51	69
49.	31	2211-परिवार कल्याण	25.11	10.79	43
50.	31	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	17.66	11.44	65
51.	31	2505-ग्रामीण रोजगार	48.60	48.60	100
52.	32	2202-सामान्य शिक्षा	18.89	12.30	65
53.	32	2202-सामान्य शिक्षा	90.68	55.27	61
54.	32	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	70.28	24.80	35
55.	32	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	49.42	13.13	27
56.	32	2505-ग्रामीण रोजगार	136.03	118.14	87
57.	32	4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	17.00	17.00	100
58.	32	4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	11.34	11.34	100
योग			10,219.04	2,862.82	

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4; पृष्ठ: 41)

31 मार्च 2017 को व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में अव्ययित शेष दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

क्रमांक	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
1	एन.जे.पी.सी.	21,684.78
2	हि.प्र. उच्च न्यायालय	19.00
3	आई.जी.एम.सी., शिमला	17.07
4	युवा व खेल	20.14
5	पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर	60.22
6	पुलिस अधीक्षक, चम्बा	2.96
7	पुलिस अधीक्षक बेतार, शिमला	42.59
8	पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर	3.68
9	पुलिस अधीक्षक, कुल्लू	5.73
10	पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा स्थित धर्मशाला	72.29
11	पुलिस उप-महानीरीक्षक प्रशिक्षण, दरोह	56.17
12	पुलिस अधीक्षक, केलांग	17.46
13	पुलिस अधीक्षक, किन्नौर	20.59
14	पुलिस अधीक्षक, मण्डी	5.33
15	पुलिस अधीक्षक, शिमला	106.38
16	पी.टी.एस., जुन्ना	23.74
17	पुलिस अधीक्षक, नाहन	32.58
18	पुलिस अधीक्षक, सोलान	45.41
19	पुलिस अधीक्षक, ऊना	77.61
20	एन.ए.सी., चौबड़ी	0.55
21	एन.ए.सी., सुजानपुर	0.06
22	नगरपालिका, हमीरपुर	19.57
23	नगरपालिका, कल्पा	0.84
24	नगरपालिका, केलांग	0.16
25	नगरपालिका, मण्डी	1.64
26	नगरपालिका, सुन्दरनगर	0.07
27	एन.ए.सी., जुब्बल	0.87
28	नगरपालिका, शिमला	5.39
29	एन.पी., संतोखगढ़	0.06
30	आई.सी.ए.आर. की निधि	9.91
31	पी.एस., झण्डूता	3.04
32	पी.एस., चम्बा	1.68
33	पी.एस., महला	3.28
34	पी.एस., भटियात	18.36
35	पी.एस., नादौन	0.79
36	पी.एस., भौरंज	0.13
37	पी.एस., कुल्लू	0.96
38	पी.एस., आनी	0.18
39	पी.एस., कांगड़ा	0.69
40	पी.एस., नगरोटा बगवां	0.00*
41	पी.एस., रायत	2.45
42	पी.एस., नूरपुर (33)	1.08
43	पी.एस., परागपुर	1.60
44	पी.एस., नगरोटा सूरियां	1.05
45	पी.एस., पंचरुखी	0.58

क्रमांक	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
46	पी.एस., लम्बांगंव	1.99
47	पी.एस., काल्पा	5.73
48	पी.एस., पुहू	3.09
49	पी.एस., निचार	3.22
50	पी.एस., केलांग	2.04
51	पी.एस., मंडी	0.16
52	पी.एस., सेराज	0.26
53	पी.एस., चौंतडा	2.28
54	पी.एस., सुन्दरनगर	0.81
55	पी.एस., पांगी	0.01
56	पी.एस., नारकंडा	51.22
57	पी.एस., ठियोग	4.45
58	पी.एस., जुब्बल	0.21
59	पी.एस., चारगंव	0.91
60	पी.एस., नाहन	1.22
61	पी.एस., पच्छाद	0.00**
62	पी.एस., सोलन	0.09
63	पी.एस., कुनिहार	1.20
64	पी.एस., नालागढ़	0.32
65	पी.एस., अंब	2.55
66	पी.आर.आई. राजकीय सैनिक विद्यालय, बिलासपुर	0.26
67	पी.आर.आई., डी.ए.वी. कॉलेज, बानीखेत	0.27
68	डी.ए.वी., कोटखाई	9,795.05
69	पी.आर.आई., सेन कॉलेज, कुल्लू	0.26
70	डी.ए.वी., कांगड़ा	221.81
71	एम.एस. एम.एल. कॉलेज, थूराल	2.67
72	एम.एस. एम.एल. कॉलेज, सुन्दरनगर	32.88
73	एस.डी.ओ. सिविल, नाहन	3.25
74	पी.आर.आई., जी.डी.सी., सुबाथू	0.01
75	पी.आर.आई., नेशनल कॉलेज, अंब	0.04
76	एस.बी.एस.डी. कॉलेज, बठौली	1.18
77	प्रौद्योगिकी कॉलेज, सुन्दरनगर	0.06
योग		32,528.23

* वास्तविक आंकड़ा केवल ₹ 91/- है

** वास्तविक आंकड़ा केवल ₹ 282/- है

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1; पृष्ठ: 47)

31 मार्च 2017 को बकाया पड़े प्रयुक्ति प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय प्रयुक्ति प्रमाण पत्र		बकाया प्रयुक्ति प्रमाण पत्र		
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1	2011- संसद/राज्य/संघ क्षेत्र विधान सभाएं	2015-16	1	8.23	-	-	
			1	8.23	-	-	
2	2029- भू-राजस्व	2015-16	2	26.00	1	1.00	
			2	26.00	1	1.00	
3	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	2015-16	6	125.89	1	0.89	
			6	125.89	1	0.89	
4	2055- पुलिस	2013-14	1	10.00	-	-	
		2015-16	1	10.00	-	-	
			2	20.00	-	-	
5	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2015-16	20	846.37	20	846.37	
			20	846.37	20	846.37	
6	2075- विविध सामान्य सेवाएं	2013-14	3	125.27	1	5.72	
		2014-15	18	164.29	8	141.00	
		2015-16	21	250.92	21	250.92	
			42	540.48	30	397.64	
7	2202- सामान्य शिक्षा	2013-14	21	3,585.27	-	-	
		2014-15	140	16,996.49	-	-	
		2015-16	11,525	45,932.54	4	152.00	
			11,686	66,514.30	4	152.00	
8	2204- खेल एवं युवा सेवाएं	2014-15	1	2.71	1	2.71	
		2015-16	27	608.25	-	-	
			28	610.96	1	2.71	
9	2205- कला एवं संस्कृति	2014-15	148	101.66	-	-	
		2015-16	155	437.59	-	-	
			303	539.25	-	-	
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य							
10	2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2012-13	1	100.00	1	100.00	
		2013-14	43	1,650.91	34	1,083.60	
		2014-15	49	5,667.59	40	5,584.31	
		2015-16	993	9,947.34	48	7,684.20	
			1,086	17,365.84	123	14,452.11	
11	2211- परिवार स्वास्थ्य	2013-14	1	533.00	1	533.00	
		2015-16	57	17,767.45	-	-	
			58	18,300.45	1	533.00	
योग (चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य)			1,144	35,666.29	124	14,985.11	
शहरी विकास							
12	2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2015-16	3	643.29	2	322.84	
			3	643.29	2	322.84	
13	2217- शहरी विकास	2010-11	5	1,919.83	5	1,919.83	
		2011-12	6	781.13	4	728.63	
		2012-13	9	566.32	-	-	
		2014-15	40	18,665.84	29	11,973.51	
		2015-16	69	29,928.33	60	21,250.05	
			129	51,858.45	98	35,872.02	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	3054- सड़क एवं पुल	2011-12	1	600.00	-	-
		2012-13	1	600.00	-	-
		2013-14	1	600.00	-	-
		2014-15	1	600.00	1	330.00
		2015-16	1	600.00	1	462.00
			5	3,000.00	2	792.00
	योग (शहरी विकास)		137	55,501.74	102	36,986.86
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता					
15	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	2011-12	10	1,000.00	4	592.50
		2012-13	20	1,006.49	19	926.14
		2013-14	3	8.60	3	8.60
		2014-15	4	225.10	4	225.10
		2015-16	8	243.00	7	241.00
			45	2,483.19	37	1,993.34
16	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2013-14	102	510.15	-	-
		2014-15	584	2,822.14	-	-
		2015-16	724	3,403.90	158	463.64
			1,410	6,736.19	158	463.64
	योग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)		1,455	9,219.38	195	2,456.98
	सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं					
17	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2014-15	12	457.22	11	453.22
		2015-16	14	695.15	11	630.06
			26	1,152.37	22	1,083.28
18	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2012-13	1	3.00	1	3.00
		2013-14	2	15.02	2	15.02
		2014-15	10	1,445.09	5	417.59
		2015-16	5	35.69	5	35.69
			18	1,498.80	13	471.30
	योग (सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं)		44	2,651.17	35	1,554.58
19	2401- कृषि कर्म	2012-13	13	681.41	-	-
		2014-15	21	5,070.75	11	400.00
		2015-16	22	7,185.00	-	-
			56	12,937.16	11	400.00
20	2403- पशुपालन	2012-13	25	2,039.06	8	141.06
		2013-14	26	1,904.04	15	1,770.35
		2014-15	28	3,890.07	15	965.37
		2015-16	37	3,497.39	31	2,813.12
			116	11,330.56	69	5,689.90
21	2404- डेयरी विकास	2015-16	22	1,853.56	21	1,666.16
			22	1,853.56	21	1,666.16
22	2405- मत्स्य पालन	2014-15	6	25.20	5	25.00
		2015-16	20	19.40	15	13.58
			26	44.60	20	38.58
23	2408- खाद्य भंडारण एवं भण्डारण	2011-12	8	20.40	-	-
		2012-13	12	26.99	-	-
		2013-14	18	33.50	-	-
		2014-15	22	35.71	2	2.21
		2015-16	19	31.47	13	21.70
			79	148.07	15	23.91

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
24	2425- सहकारिता	2012-13	4	7.05	-	-
		2013-14	17	12.85	-	-
		2014-15	27	42.45	4	3.95
		2015-16	51	129.73	34	53.86
			99	192.08	38	57.81
	ग्रामीण विकास					
25	2216- आवास	2014-15	59	1,253.36	45	981.73
		2015-16	103	5,507.01	85	5,165.14
			162	6,760.37	130	6,146.87
26	2501- विशेष कार्यक्रम	2014-15	23	963.39	20	932.91
		2015-16	40	3,774.35	22	3,277.40
			63	4,737.74	42	4,210.31
27	2505-ग्रामीण रोजगार	2011-12	9	284.86	9	284.86
		2012-13	17	3,911.91	17	3,911.91
		2013-14	14	4,996.53	14	4,996.53
		2014-15	19	39,245.37	19	39,245.37
		2015-16	31	45,559.04	31	45,559.04
			90	93,997.71	90	93,997.71
28	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2011-12	156	16,970.30	156	16,970.30
		2012-13	292	15,257.85	292	15,257.85
		2013-14	290	21,376.70	268	20,482.68
		2014-15	345	31,111.12	345	31,111.12
		2015-16	397	41,606.98	282	31,437.60
			1,480	1,26,322.95	1,343	1,15,259.55
	योग (ग्रामीण विकास)		1,795	2,31,818.77	1,605	2,19,614.44
29	2801- विद्युत	2011-12	2	212.00	2	212.00
		2013-14	1	1,854.00	1	1,854.00
		2014-15	1	1,259.00	1	1,259.00
		2015-16	1	90.00	-	-
			5	3,415.00	4	3,325.00
30	2810- ऊर्जा के अपरम्परागत स्रोत	2015-16	5	25.00	4	23.00
			5	25.00	4	23.00
31	2851- ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2011-12	1	9.60	-	-
		2012-13	14	565.74	3	49.21
		2013-14	23	285.17	4	147.21
		2014-15	21	1,008.43	3	69.09
		2015-16	128	3,270.15	33	388.53
			187	5,139.09	43	654.04
32	3055- पथ परिवहन	2015-16	6	10,243.20	-	-
			6	10,243.20	-	-
33	3435- पारिस्थितिकी पर्यावरण	2013-14	5	40.70	-	-
		2014-15	4	50.40	-	-
		2015-16	8	24.70	-	-
			17	115.80	-	-
34	3452- पर्यटन	2010-11	1	10.00	-	-
		2011-12	10	606.62	-	-
		2012-13	9	900.68	-	-
		2013-14	9	1,905.06	-	-
		2014-15	8	2,103.30	2	3.30
		2015-16	14	3,079.15	2	4.15
			51	8,604.81	4	7.45

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
35	3604- स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	2015-16	27	995.58	12	543.01
			27	995.58	12	543.01
36	2406-वन एवं वन्य जीव (वन लेखे)	2011-12	1	18.11	-	-
		2012-13	9	170.64	9	170.64
		2013-14	21	506.23	11	431.34
		2014-15	85	522.72	70	442.46
		2015-16	227	1,360.39	111	500.35
			343	2,578.09	201	1,544.79
37	2415- कृषि अनुसंधान व शिक्षा (वन लेखे)	2015-16	49	19,827.00	-	-
			49	19,827.00	-	-
38	2250-अन्य सामाजिक समुदाय	2014-15	4	502.12	3	2.12
		2015-16	5	3.04	5	3.04
			9	505.16	8	5.16
39	3425-अन्य विज्ञान सम्बन्धी	2014-15	3	80.20	3	80.20
		2015-16	30	547.39	16	9.62
			33	627.59	19	89.82
40	3053-पर्यटन व नागरिक	2015-16	1	76.18	-	-
			1	76.18	-	-
41	2435-वन लेखा	2015-16	1	1,000.00	-	-
			1	1,000.00	-	-
42	3454-जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	2014-15	23	5.42	-	-
		2015-16	6	14.53	-	-
			29	19.95	-	-
	सकल योग		17,826	4,83,767.35	2,587	2,91,067.22

परिशिष्ट - 3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.2; पृष्ठ: 48)

स्वायत्त निकायों का निष्पादन दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब (महीनों में)	अवधि जब तक पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा में जारी किया गया	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने की तिथि	वर्ष जब तक लेखे देय हैं तथा लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब
1.	हिंप्र० राज्य पशु चिकित्सा परिषद, शिमला	2005-06 से आगे	2015-16	3 महीने	2015-16 (28.10.2016)	2015-16 (15.03.2017)	--
2.	हिंप्र० खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, शिमला	01.04.2017 से 31.03.2022	2012-13	3 वर्ष 8 महीने	2012-13 (16.06.2016)	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं	2013-14 (2 वर्ष 11 महीने) 2014-15 (1 वर्ष 11 महीने) 2015-16 (11 महीने)
3.	हिंप्र० शहरी परिवहन एवं बस स्टैण्ड प्रबंधन व विकास प्राधिकरण, शिमला	01.04.2000 से आगे	2015-16	4 महीने	2015-16 (25.01.2017)	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं	--
4.	हिंप्र० राज्य विद्युत नियामक आयोग, शिमला	2007-08	2015-16	2 महीने	2015-16 (16.11.2016)	2015-16 (29.01.2017)	--
5.	हिंप्र० भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड, शिमला	2009-10 से आगे	2013-14	--	2013-14	2011-12 (04.06.2015) 2012-13 (मार्च 2017) 2013-14 (मार्च 2017)	2014-15 (2 वर्ष) 2015-16 (11 महीने)

परिशिष्ट- 3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ: 48)
चोरी, दुर्विनियोजन/हानि, आदि के मामलों का विभागबद्ध तथा अवधिबद्ध व्यौरा

क्रमांक	विभाग का नाम	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष		10 से 15 वर्ष		15 से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्ष से अधिक		मामलों की कुल संख्या	
		सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए
1.	शिक्षा	02	2.55	-	-	01	0.93	-	-	-	-	-	-	03	3.48
2.	ग्रामीण विकास	-	-	02	4.68	-	-	-	-	-	-	-	-	02	4.68
3.	कृषि	-	-	-	-	01	9.20	01	0.26	-	-	-	-	02	9.46
4.	उद्यान	01	1.54	01	0.06	-	-	01	1.29	-	-	-	-	03	2.89
5.	भू-राजस्व	-	-	-	-	-	-	-	-	01	2.57	-	-	01	2.57
6.	पुलिस	-	-	01	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.08
7.	मत्स्यपालन	01	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	1.28
8.	नगर परिषद् चम्बा	01	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.42
9.	राजस्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	0.40	02	0.40
10.	गृह रक्षा	-	-	-	-	-	-	03	25.42	-	-	-	-	03	25.42
11.	आयोजना निदेशक	-	-	-	-	01	2.97	-	-	-	-	-	-	01	2.97
12.	स्वास्थ्य	-	-	-	-	01	0.95	-	-	-	-	-	-	01	0.95
13.	बन	-	-	01	2.38	01	0.63	-	-	-	-	02	0.40	04	3.41
14.	लोक निर्माण	-	-	-	-	-	-	06	7.43	01	1.05	08	2.69	15	11.17
15.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	-	-	-	-	01	0.89	02	7.72	-	-	02	0.31	05	8.92
	योगः	05	5.79	05	7.20	06	15.57	13	42.12	02	3.62	14	3.80	45	78.10

सी: मामलों की संख्या

ए: राशि (₹ लाख में)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ: 48)

सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्बिनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागबद्ध/श्रेणीबद्ध ब्यौरा

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुर्बिनियोजन/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
शिक्षा	02	1.60	01	1.88	03	3.48
ग्रामीण विकास	02	4.68	-	-	02	4.68
कृषि	-	-	02	9.46	02	9.46
भू-राजस्व	-	-	01	2.57	01	2.57
उद्यान	01	0.06	02	2.83	03	2.89
मत्स्यपालन	01	1.28	-	-	01	1.28
पुलिस	-	-	01	0.08	01	0.08
नगर परिषद चम्बा	-	-	01	0.42	01	0.42
राजस्व	-	-	02	0.40	02	0.40
गृह रक्षा	-	-	03	25.42	03	25.42
आयोजना निदेशक	01	2.97	-	-	01	2.97
स्वास्थ्य	-	-	01	0.95	01	0.95
वन	-	-	04	3.41	04	3.41
लोक निर्माण	01	0.22	14	10.95	15	11.17
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	01	0.25	04	8.67	05	8.92
योग:	09	11.06	36	67.04	45	78.10

परिशिष्ट-4

शब्दावली

क्रम संख्या	शब्द	विवरण
1.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन संस्था तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आदि हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके तथा अन्य चालू कीमतों पर अन्य सभी कारकों से उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्पालावकता अनुपात	उत्पालावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सापन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की अनुक्रियाशीलता की मूल्य-सापेक्षता अथवा अवस्था को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्पालावकता का अर्थ है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धि की ओर अभियुक्त होगी।
4.	विकास व्यय	व्यय के आंकड़ों को विकास एवं गैर-विकास व्यय में विश्लेषित किया गया है। राजस्व लेखों, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बद्ध समस्त व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय का निर्माण करती हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर-विकास व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है।
5.	ऋण धारणीयता	ऋण धारणीयता को एक समयावधि में स्थिर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का अनुरक्षण करने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसकी ऋण व्यवस्था करने की क्षमता के बारे चिन्ता भी अभिव्यक्त करती है। इसलिए ऋण धारणीयता चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल सम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा ऐसे उधारों से होने वाली आय के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के मध्य संतुलन रखने के लिए क्षमता का उल्लेख भी करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण सेवा के लिए क्षमता में वृद्धि के साथ मेल होना चाहिए।
6.	गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	वृद्धिशील व्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील व्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
7.	शुद्ध ऋण की उपलब्धता	राज्य को उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना, लोक ऋण प्राप्तियों में से लोक ऋण तथा उस पर व्याज की अदायगी को घटाकर की जाती है।
8.	गैर-ऋण प्राप्तियां	वृद्धिशील व्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता है यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील व्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
9.	गारंटी	कर्जदार, जिसकी गांटी दी गई है, द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।

